



फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गंगा देवी वगैरे

संख्या: 226/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.07.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निवेदाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निवेदाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 14/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिले (समाप्ति) </p>	
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।</p>	
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हों।</p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिले (समाप्ति) </p>	

जिला

पार्थीगण

हैं :-
स्थायी
तन्नीय
फलता

त पते

लाती
रा, भू
र के
राजी
रकबा

कुल
कॉर्ड
मार्थी
आ
के

पेत
वत
पने

